Dr. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

(Department of Agricultural Research and Education)

NOTIFICATION

Samastipur, the 16th August, 2023

ORDINANCE

No. 408/DRPCAU (VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education as per resolution passed by the Board of Management in its 16th meeting held on 28.10.2021 has approved to make an Ordinance regarding the conditions of residence of students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa vide No. 5-42/2021-CAU (e-4658) dated 31st July, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (h) of Section 28 (1) of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016 (32 of 2016) and with the previous approval of the Central Government, as aforesaid, I, the Vice-chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa do hereby make the first Ordinance and notify the conditions of residence of the students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa as follows:

1. The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa shall be a residential University.
2. Every student of the University shall reside in a Hostel of the University or in such other accommodation required and managed by the University.
3. Notwithstanding anything contained in para1 and 2 of this Ordinance, a student may be allowed by the Director, Students Welfare/Dean of the Colleges to stay outside the hostel with his/her parent/guardian under special circumstances and on a specific written request of the parent/guardian provided the place is within a reasonable distance from the college where the student is residing.
4. Others conditions shall be as prescribed in the Academic Regulations of the University.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./510/2023-24]

अधिसूचना

समस्तीपुर, 16 अगस्त, 2023

अध्यादेश

क्रमांक : 409**/डॉ.रा.प्र.के.कृ.वि.(भी.सी.), पूसा.**—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के दिनांक 28.10.2021 को सम्पन्न हुई 16वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों, जिनके लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के परिनियम में प्रावधान हैं, के अतिरिक्त, अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति एवं परिलब्धियों के सबंध में पत्रांक 5-42/2021-सीएयू (ई-4658), दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा अध्यादेश बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, जो निम्नवत है :-

1. शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया पहले ही राजपत्र अधिसूचना संख्या 81/आर.पी.सी.ए.यू. दिनांक 15.9.2017 के माध्यम से अधिसूचित हो चूकी है, (सेवा एवं नियुक्ति नियमावली (शैक्षणिक कर्मचारी), 2017), जो की लागू है।
2. शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया पहले ही राजपत्र अधिसूचना संख्या 82/आर.पी.सी.ए.यू. दिनांक 15.9.2017 के माध्यम से अधिसूचित हो चूकी है, (सेवा एवं नियुक्ति नियमावली शिक्षकेत्तर कर्मचारी), 2017), जो की लागू है।
3. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वेतनमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा सम्बद्ध विभिन्न वित्तीय एजेंसियों की पूर्वानुमति से प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
4. नियत परिलब्धियों पर बहाल कर्मियों जैसे सलाहकार/एड्जन्क्ट फैकल्टी/स्कॉलर इन रेजिडेंस इत्यादि की परिलब्धियाँ प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।

अतः, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधिनियम, 2016 (2016 का 32) के खंड - 28(1) की उप-खंड (j) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) की पिछली मंजूरी के साथ ही मैं, कुलपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, एतद्द्वारा प्रथम अध्यादेश जारी करता हूँ और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कर्मचारियों, जिनके लिए डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के परिनियम में प्रावधान हैं, के अतिरिक्त, अन्य कर्मचारियों के नियुक्ति एवं परिलब्धियों की उपरोक्त प्रक्रिया को अधिसूचित करता हूँ ।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डेय, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./510/2023-24]